



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(01)परावि/प्रशा.1/RRDS-18/संस्थापन/2021/3239 जयपुर दिनांक:- 5/6/22

—:आदेश:—

हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 11110 दिनांक 05.08.2022 द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के बैच-2021 के अधिकारी जो आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें दिनांक 05.08.2022 को मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त किया जाकर दिनांक 08.08.2022 को प्रातः 09.30 बजे निदेशक, पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के जिन अधिकारियों का पदस्थापन पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद पर किया जा चुका है, वह तत्काल प्रभाव से संबंधित पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करेंगे तथा शेष अधिकारी पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर पर आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)